"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त 2017—श्रावण 20, शक 1939

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती शहला निगार, भा.प्र.से., (2001), सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग (पेंशन निराकरण समिति के कार्य हेतु) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

नया रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 4-1/2007/1-7.—श्री अशोक कुमार लुनिया, (सदस्य उच्चतर न्यायिक सेवा) अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, धमतरी की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1060/1944/XXI-B/C.G./17, दिनांक 29-06-2017 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ लोक आयोग में प्रतिनियुक्ति पर विधिक सलाहकार के पद पर पदस्थ करने हेतु सौंपी गई है. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अशोक कुमार लुनिया, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, धमतरी को छत्तीसगढ़ लोक आयोग में विधिक सलाहकार के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

विधि और विधायी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्रमांक 6531/997/PS Law/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री जयप्रकाश गुप्ता, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 1-11/2010/मबावि/50 (पार्ट).—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29-05-2017 द्वारा डॉ. सिमी श्रीवास्तव सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. मान. सदस्य डॉ. सिमी श्रीवास्तव का कार्यकाल दिनांक 22-06-2017 को पूर्ण होने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम-2009 की धारा-7 (4) में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को छ.ग. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद पर नवीन नियुक्ति होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2017

क्रमांक/63/R-370/22-2/SBM(G)/PRDD/2015.—हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (क्र. 25 सन् 2013) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के उपबंधों के यथोचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, जनपद पंचायत हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा जिला हेतु जिला दण्डाधिकारी को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर सक्षम प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करने हेतु शक्तियां प्रदान करती है.

No./63/R-370/22-2/SBM(G)/PRDD/2015.—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (No. 25 of 2013), the State Government, hereby, confers power to the Sub-Divisional Magistrates for Janpad Panchayats and District Magistrates for Districts within their Jurisdication to also act as competent Authority to ensure that the provisions of the said Act are properly carried out.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नायक, संयुक्त सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2017

क्रमांक 655 एफ 2017-04-03128/स्था./चार.—इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक 300/ब-4/चार/2001 रायपुर, 25 जुलाई, 2001 द्वारा संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली के पदों की स्वीकृति आदेश जारी किया गया है. उक्त ज्ञापन की कंडिका-3 में इस विभाग के आदेश क्रमांक 1310/1597/2016/स्था./चार दिनांक 23-11-2016 द्वारा "संयुक्त सचिव/उप सचिव बजट" के स्थान पर "विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग" प्रतिस्थापित करते हुए उक्त संशोधन दिनांक 1-1-2014 से प्रभावशील माना गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 300/ब-4/चार/2001, दिनांक 25-07-2001 (सहपठित आदेश क्रमांक 1310/1597/2016/स्था./चार, दिनांक 23-11-2016) की कंडिका-3 में "विशेष सचिव/संयुक्त सचिव" के स्थान "विशेष सचिव/संचालक बजट/संयुक्त सचिव" प्रतिस्थापित करता है.

3. उपरोक्त प्रतिस्थापना दिनांक 29-05-2017 से प्रभावशील माना जायेगा.

4. उपरोक्त संशोधन पर वित्त विभाग बजट शाखा-1 की सहमति कम्प्यूटर क्र. एफ 2016-04-03128/ब-1/चार/वित्त, दिनांक 27-06-2017 द्वारा प्राप्त है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 जून 2017

क्रमांक 04/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.852 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1/7	0.004
	4/1	0.162
	5/5	0.008
	5/4	0.008
	1/8	0.004
	4/2	0.065
	5/2	0.008
	5/8	0.004
	1/9	0.008
	4/4	0.064
	5/3	0.008
	5/6	0.024
	2	0.210
	4/3	0.267
	5/7	0.008
योग	15	0.852

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जून 2017

क्रमांक 05/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तोरना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.714 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
266/2	0.089
267/6	0.018
271/4	0.077
275/3	0.004
305	0.085
267/4	0.036
267/1	0.057
282/2	0.016
282/1	0.081
306	0.008
266/1	0.113
268	0.028
275/1	0.004
304/1	0.040
267/3	0.018
271/3	0.032
275/2	0.004

	(1)	(2)
	283/2	0.004
योग	18	0.714

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 जुलाई 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जसरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-44.186 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
65/2	0.004
671/1	0.147
497/4	0.026
229/4	0.045
111/4	0.049
501/1	0.013
216/4	0.024
262/2	0.032
230/6	0.021
158/1च	0.006
6/4 ख	0.085
479/2ख	0.091
476/3	0.024
500/1	0.091
161/4	0.004
242/4	0.060
308/5	0.029
6/2 ख	0.367
673/4 ख	0.021
694/3	0.081
691/2	0.212
512/1	0.138
7/2	0.061
671/2	0.148
497/7	0.040
313/3	0.077
226/2	0.046
196/2	0.056
235/4	0.040
237/3	0.020
267/2	0.049
263/4 ख	0.029
309/6	0.081
484/1 क	0.045
104/1	0.081
626/2	0.019
262/3	0.032
158/1 ख	0.050
694/2 ग	0.082
193/2 ख	0.032
231/2	0.056
694/5	0.032
693/1	0.053
228/2	0.051
499/5	0.028
10/3	0.036
10/5	0.032
497/6	0.026
108/2	0.016
281/1 ख	0.036
673/3 क	0.033
237/4	0.033
193/4	0.033
496/2	0.243
473/6 क	0.032
484/2 क	0.022
242/3	0.061
670/9 क	0.028
161/5	0.004
231/4 क	0.043

(1)	(2)	(1)	(2)
101/1	0.153	650/3	0.047
216/3	0.028	244/2 ग	0.012
11/1	0.056	227	0.028
213/3	0.166	507/2, 508/2	0.129
500/4	0.091	195/2	0.008
197	0.105	484/2 ख	0.022
317/5, 318/5	0.045	313/2	0.089
163/3	0.033	484/3	0.118
64/4	0.026	498/1 ख	0.068
497/9	0.041	481/3 क	0.152
249/1	0.034	6/1	0.126
6/2 क	0.057	244/3	0.061
161/1	0.004	63/2	0.020
84	0.081	474/1	0.087
673/4 क	0.036	101/3	0.105
263/8	0.030	78/1 ग	0.027
167/4	0.010	503/1	0.073
485/2	0.170	13/2	0.016
480/1 क	0.023	101/2	0.311
161/6	0.004	493/1 क	0.040
262/4	0.032	486/1 च	0.053
233/3	0.092	215/2	0.158
111/3	0.110	522/1	0.081
235/3	0.085	476/6 ख	0.008
230/1	0.093	486/5 घ	0.069
264/2	0.113	512/2 ड, 514/2 ख	0.073
503/4	0.073	497/2	0.182
311/1	0.028	144/1 घ	0.113
505	0.125	624/1	0.049
313/1	0.077	166/2	0.014
198, 696/3	0.014	314/5 ग	0.040
9/1	0.101	486/2 घ	0.033
491/1	0.063	11/3	0.057
193/2 क	0.032	234/5	0.061
161/2	0.046	309/5	0.020
196/3	0.053	216/5	0.023
12	0.348	110/2	0.081
473/10	0.096	630/2	0.045
283/2	0.032	267/1	0.026
510/4 क	0.068	169/2 क	0.113
480/5 क	0.101	691/1	0.237
262/5	0.046	694/7 ग	0.034
166/4	0.017	623/1	0.183
281/2	0.024	310	0.243
237/2 क	0.057	157/12	0.016
673/3 ख	0.036	512/2 च	0.049
234/1	0.057	674/8	0.085

(1)	(2)	(1)	(2)
493/1 ख	0.036	10/4	0.032
65/1	0.099	497/5	0.028
198, 696/4	0.024	160/2	0.053
234/3	0.056	504/1	0.405
485/1	0.057	498/1 क	0.119
146/3	0.023	216/1	0.053
234/2	0.056	498/3	0.154
493/2 क	0.029	484/1 ग	0.045
193/1	0.032	651/3	0.048
157/8	0.039	670/14	0.008
479/2 घ	0.091	268/3	0.101
650/2	0.257	220/3	0.049
311/3	0.094	485/4	0.056
168/3	0.040	167/3	0.011
279/2	0.024	228/3	0.061
484/6	0.119	486/3 क	0.038
241/1	0.295	146/5	0.009
228/1	0.065	314/1 ख	0.046
486/2 ग	0.041	486/1 झ	0.024
308/6	0.016	157/10	0.016
522/3	0.166	111/1	0.104
476/7	0.025	198, 696/1	0.081
65/3	0.011	494/4	0.071
215/1	0.158	85/1	0.041
497/3	0.184	500/3	0.089
494/1	0.032	476/4 क	0.008
158/1 ग	0.043	626/6	0.013
674/2	0.085	230/5	0.026
314/5 घ	0.024	507/3	0.049
486/5 ग	0.036	694/2 क	0.082
164/2	0.047	14/2	0.372
230/7	0.016	476/4 ख	0.016
233/1	0.092	198, 696/2	0.061
673/2	0.069	247/2	0.154
110/3 ख	0.020	308/2	0.077
630/3 क	0.022	650/5	0.257
166/3	0.019	85/2	0.040
284/2	0.214	623/3	0.186
693/3	0.053	480/1 ख	0.010
63/1	0.081	480/1 ग	0.012
623/2	0.186	674/3	0.081
242/5	0.045	262/1	0.125
242/6	0.044	315/1	0.109
674/1	0.085	312/1	0.105
161/3	0.073	269/2	0.024
268/5 ख	0.114	160/12	0.024
145/1	0.027	497/8	0.040
211/4	0.040	481/3 ख	0.152

(1)	(2)	(1)	(2)
8/1	0.061	13/3	0.016
196/1	0.053	11/2	0.057
235/2	0.081	311/2	0.028
670/9 ख	0.012	694/7 ख	0.034
484/2 ग	0.025	228/4	0.061
651/7	0.152	500/2	0.182
164/1	0.048	494/3	0.138
268/6	0.126	281/1 घ	0.026
317/4, 318/4	0.089	473/6 ख	0.085
169/3	0.109	486/1 क	0.028
670/12	0.057	485/3	0.053
314/5 ख	0.049	281/1 क	0.024
484/5	0.119	314/5 ङ	0.020
247/4	0.073	486/4	0.214
314/2 क	0.035	512/2 क	0.158
486/3 च	0.024	317/1, 318/1 क	0.049
500/5	0.030	238/3	0.121
220/1	0.014	244/2 क	0.012
238/1	0.081	156/1 ख	0.039
160/1	0.013	110/3 क	0.020
146/6	0.009	166/5	0.021
110/1	0.081	228/6	0.062
486/1 ख	0.028	11/4	0.057
104/2	0.085	193/3	0.045
11/5	0.056	280/3	0.028
512/2 घ, 514/2 क	0.190	486/5 ख	0.036
6/4 क	0.039	239/4	0.081
223	0.751	673/4 ग	0.016
476/5 क	0.016	264/1	0.113
238/2	0.105	651/8	0.152
247/3	0.024	316	0.138
213/2	0.167	284/3	0.121
651/5	0.065	512/2 ख	0.158
624/3	0.178	511	0.073
282/2	0.073	674/7	0.081
500/6	0.030	481/1	0.170
500/7	0.031	476/6 क	0.020
674/6	0.089	480/2 ख	0.040
17/2	0.012	630/3 ख	0.022
476/5 ख	0.012	501/2	0.013
495/1	0.060	147/1 क	0.130
484/1 ख	0.044	312/2	0.105
195/4	0.060	473/2	0.081
675/4	0.029	202/2	0.138
493/2 ख	0.028	237/2 ख	0.053
281/1 ग	0.022	503/2	0.089
234/4	0.057	83/1 ग	0.007

(1)	(2)	(1)	(2)
474/9	0.227	153/2	0.133
113	0.073	674/9	0.448
217/1	0.151	475	0.029
213/1	0.149	79/1	0.206
198, 696/2	0.032	78/1 ख	0.027
317/3, 318/3	0.129	9/3	0.049
491/3	0.104	624/4	0.034
280/1	0.089	309/4	0.065
232	0.502	258	0.113
5/2	0.121	226/1	0.051
110/5	0.081	259/9	0.026
147/1 ज	0.132	692/1	0.028
151/1 ख	0.064	259/8	0.023
674/5	0.053	492	0.120
498/2	0.138	486/3 ङ	0.024
17/1	0.069	108/3	0.017
77/2	0.027	694/2 ख	0.082
474/7	0.024	317/1, 318/1 ख	0.061
244/2 ङ	0.045	147/1 ख	0.081
235/1	0.081	473/7	0.079
14/1	0.437	9/2	0.052
195/3	0.061	269/1	0.129
212/2	0.067	7/1	0.061
259/10	0.055	217/2	0.131
692/6	0.032	651/1	0.061
250	0.062	7/3	0.065
486/1 घ	0.085	201/1	0.029
228/5	0.061	650/1	0.069
233/2	0.091	482/2	0.024
169/1	0.109	506	0.287
66/3	0.036	628/3	0.015
473/3	0.069	8/2	0.065
240/2	0.174	284/5	0.121
244/2 घ	0.040	482/1	0.070
504/2	0.178	158/1ङ	0.053
168/1	0.040	499/1 क	0.162
495/2	0.278	158/1 झ	0.048
495/5	0.120	237/1	0.097
157/4	0.041	493/4	0.057
264/3	0.114	167/1	0.028
231/4 ख	0.045	168/2	0.041
494/2	0.069	63/4	0.017
501/3	0.027	6/3 क	0.108
479/2 ग	0.144	673/1	0.037
284/4	0.121	158/1 क	0.053
169/2 ख	0.057	229/3	0.040
314/4	0.138	692/2	0.067
281/3	0.123	692/3	0.077

(1)	(2)	(1)	(2)
649	0.034	497/1	0.170
502	0.081	78/1 क	0.027
626/1	0.014	268/4	0.126
249/2	0.033	694/7 क	0.134
65/4	0.044	105	0.014
65/5	0.040	495/3	0.178
156/1 ख	0.107	693/2	0.056
496/1	0.468	220/2	0.052
63/3	0.033	108/1	0.032
476/2	0.081	244/2 च	0.028
77/1	0.084	144/1 ङ	0.056
268/1	0.142	473/8	0.113
651/4	0.466	110/4	0.081
79/2	0.206	522/2	0.085
240/1	0.089	674/4	0.204
691/3	0.276	271/1 ज	0.067
111/2	0.049	493/3	0.113
507/1	0.210	504/3	0.178
10/2	0.049	510/3	0.146
100/1	0.288	268/5 क	0.011
308/4	0.041	195/1	0.065
110/3 ग	0.041	216/2	0.053
315/2	0.105	670/6	0.049
623/4	0.081	64/2	0.033
263/5 क	0.039	145/2	0.044
481/2	0.210	692/7	0.044
503/3	0.085	488/3	0.108
241/2	0.498	170	0.023
268/2	0.109	499/1 ख	0.210
163/1	0.032	499/2	0.210
13/1	0.271	64/1	0.020
167/2	0.011	203/1	0.243
10/1	0.053	265/1	0.085
479/2 क	0.144	163/4	0.020
692/5	0.077	244/2 ख	0.036
259/7	0.026	199/1, 199/2	0.202
107	0.162	86/1	0.057
629	0.059	229/1	0.085
630/1	0.045	280/2	0.093
491/2	0.063	203/2	0.121
279/1	0.040	692/4	0.166
202/1	0.141	214	0.202
473/1	0.081	159/1	0.199
201/2	0.013	239/1	0.073
229/2	0.040	694/4	0.121

(1)	(2)
229/5	0.040
86/2	0.024
317/2, 318/2	0.109
163/2	0.049
244/1	0.055
694/6	0.138
265/2	0.040
512/2 ग	0.158
239/7	0.037
194	0.178
257/1	0.026
16/2	0.045
283/1	0.039
योग 543	44.186

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साराडीह बैराज डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल, रायपुर

क्वा. नम्बर-88, सेक्टर-2, गीतांजली नगर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2017

क्रमांक/सी.जी./फार्मा./निर्वा./2017/49.—कार्यालय निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक सी.जी./फार्मा/निर्वा/2017/02 दिनांक 21-07-2017 के तहत फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 19 के खण्ड (ए) के अधीन छः (6) सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है. निर्वाचन हेतु 34 उम्मीदवारों से कुल 42 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए 8 उम्मीदवारों के दो-दो नाम निर्देशन पत्र हुए. इस प्रकार प्राप्त सभी 42 नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के पश्चात् वैध पाये गये नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम निम्नानुसार है :—

01.	श्री अश्विनी कुमार गुर्देकर, रायपुर	02.	श्री पल्लव श्रीवास्तव, रायपुर
03.	श्री सुरेश कुमार चन्द्राकर, रायपुर	04.	श्री हीरा शंकर साहू, दुर्ग
05.	श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल, रायगढ़	06.	श्री राहुल वर्मा, रायपुर
07.	श्री देवेन्द्र कुमार ताम्रकर, दुर्ग	08.	रवीन्द्र कुमार चन्द्राकर, बिलासपुर
09.	श्री उमा कान्त साहू, कोण्डागांव	10.	श्री दीपक कुमार विश्वास, कोरबा
11.	श्री राधे श्याम अग्रवाल, सरगुजा	12.	श्री राधे श्याम अग्रवाल, सरगुजा
13.	श्री गुलाब चन्द साहू, रायगढ़	14.	श्री केसर मल अग्रवाल, दुर्ग
15.	श्री मोहम्मद इरफान शेख, महासमुन्द	16.	श्री अमर लाल पंजवानी, रायपुर
17.	श्री अजय सिंह राजपूत, दुर्ग	18.	श्री अजय सिंह राजपूत, दुर्ग
19.	श्री अश्वनी विग, रायपुर	20.	श्री अश्वनी विग, रायपुर
21.	श्री मनोहर जेठानी, रायपुर	22.	श्री मनोहर जेठानी, रायपुर
23.	श्री दीपक गिर्देकर, रायपुर	24.	श्री योगेश्वर चन्द्रम, रायगढ़
25.	श्री दशरथ प्रसाद शर्मा, राजनांदगांव	26.	श्री दशरथ प्रसाद शर्मा, राजनांदगांव

अवैध पाये गये नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम निम्नानुसार है :—

01.	श्री तरूण कुमार त्रिपाठी, कोरबा	02.	श्री सूरज प्रताप सिंह, मुंगेली
03.	श्री सन्दीप बजाज, रायपुर	04.	श्री वैभव शास्त्री, बिलासपुर
05.	श्री राम सजीवन साहू, बलौदाबाजार	06.	जयपाल सिंह राठौर, जांजगीर–चांपा
07.	श्री दीपेन्द्र सोनी, रायपुर	08.	श्री देवेन्द्र कुमार ताम्रकर, दुर्ग
09.	श्री अविनेश चन्द्राकर, रायपुर	10.	श्री अविनेश चन्द्राकर, रायपुर
11.	श्री विजय कुमार पारख, दुर्ग	12.	श्री शेखर वर्मा, बिलासपुर
13.	श्री अमन दास आनन्द, महासमुन्द	14.	मोहम्मद इरफान शेख, महासमुन्द
15.	श्री अरूण कुमार मिश्रा, रायपुर	16.	श्री प्रतीक कुमार भट्टर, रायपुर

आर. एस. मण्डावी,
रिटर्निंग आफिसर.